



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25067-DB

एएफआर

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट सी संख्या 42092/2025

प्रमोद कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: शम्स उज़ ज़मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार,

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी,

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, द्वारा निर्गत)

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री शम्स उज़ ज़मान एवं राज्य प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रिट याचिका याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3, उप-जिला मजिस्ट्रेट, बिधूना, जन्मपद औरैया द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2022 को उत्प्रेषण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट या निर्देश जारी कर निरस्त करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के अंतर्गत याची के दावे को खारिज कर दिया गया है, और साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में प्रार्थना की गई है कि वह उपरोक्त योजना के तहत याची को देय वित्तीय सहायता/मुआवजा विधिक ब्याज सहित तत्काल संसाधित और प्रदान करे।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.02.2022 को, याची के पिता, अर्थात् स्वर्गीय अजय कुमार सिंह, रामभरना रेलवे ट्रैक के पास एक दुखद दुर्घटना के शिकार हो गए और एक चलती ट्रेन की चपेट में आने से, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कई गंभीर चोटें आईं, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना की विधिवत सूचना स्थानीय पुलिस और संबंधित रेलवे प्राधिकारियों को दी गई थी।
4. यह एक तथ्य का विषय है कि राज्य सरकार ने दुर्घटनाओं में मरने वाले किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' नामक एक कल्याणकारी योजना लागू की है। इस संबंध में, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28.02.2020 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे। तदनुसार, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, याची ने सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उपरोक्त योजना के तहत अपना दावा प्रस्तुत किया।
5. याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, 2020 के अंतर्गत तहसील कार्यालय, बिधूना के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनके पिता अजय कुमार सिंह की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रामभरना रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। यह भी कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2022 को जारी मृतक अजय कुमार सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि मृत्यु दुर्घटनाजन्य चोटों के कारण हुई थी।

6. यह आगे तर्क दिया गया कि सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.03.2022 को जारी परिवार रजिस्टर में मृतक अजय कुमार सिंह और याची प्रमोद कुमार सिंह सहित उनके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज थे, जिससे याची की यह स्थिति स्थापित होती है कि वह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, 2020 के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए पात्र विधिक उत्तराधिकारी है। स्टेशन मास्टर के ज्ञापन और संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई आगामी जाँच के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि मृतक अजय कुमार सिंह की मृत्यु ट्रेन दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई थी और उसी के अनुक्रम में, दिनांक 22.02.2022 को एक पचनामा तैयार किया गया तथा शव-परीक्षण किया गया, जिससे यह स्थापित होता है कि मृत्यु का कारण चलती ट्रेन की चपेट में आने से आई अत्यधिक चोटों के परिणामस्वरूप आकस्मिक प्रकृति का था। इसमें आत्महत्या या किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी का कोई निष्कर्ष नहीं है, जिससे यह पूरी तरह पुष्ट होता है कि उक्त मृत्यु मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, 2020 के खंड 2 के अंतर्गत तथा परिभाषित "आकस्मिक मृत्यु" के दायरे में आती है।

7. याची की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि मृतक अजय कुमार सिंह के नाम पर दर्ज कृषि जोत की खसरा-खतौनी से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि वह एक अभिलिखित खाताधारक और कृषि भूमि के सक्रिय काश्तकार थे। उक्त राजस्व अभिलेख से यह निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि मृतक मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, 2020 के अर्थ के अंतर्गत एक "कृषक" (किसान) थे और इसलिए, उक्त कल्याणकारी योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए पूरी तरह से पात्र थे।

8. यह आगे तर्क दिया गया कि स्थानीय जाँच के बाद तैयार की गई दिनांक 05.04.2022 की लेखपाल की रिपोर्ट ने मृतक अजय कुमार सिंह की ट्रेन की चपेट में आने से हुई आकस्मिक मृत्यु की ओर पुष्टि की थी। लेखपाल की रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया था कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि घटना दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या का मामला था। बिना किसी ठोस साक्ष्य या जाँच के ऐसी काल्पनिक टिप्पणी पूरी तरह से मनमानी और लापरवाहीपूर्ण प्रकृति की थी। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि किसी भी आपराधिक मामले, प्राथमिकी या पुलिस रिपोर्ट में कभी भी आत्महत्या या किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं दिया गया है।

9. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि उप-जिला मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.), बिधूना ने पत्र दिनांक 02.05.2022 के माध्यम से बिना किसी ठोस आधार या अकाट्य साक्ष्य के याची को अपात्र माने जाने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात, उप-जिला मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2022 पारित किया, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, 2020 के अंतर्गत याची के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि घटना के समय मृतक ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था और यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि मृत्यु दुर्घटनावश थी या आत्मघाती, और उसे "अपात्र" घोषित कर दिया गया। किसी भी साक्ष्य के बिना और केवल अटकलों पर आधारित उप-जिला मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष, योजना द्वारा परिकल्पित कल्याणकारी लाभों से मनमाने और यांत्रिक रूप से वंचित करने के समान था, और इसलिए, आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

10. राज्य प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव करने का प्रयास किया और यह तर्क दिया कि आत्महत्या का मामला योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों के दायरे से बाहर था, परंतु वह ऐसा कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य प्रदर्शित नहीं कर सके जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृत्यु आत्महत्या थी न कि आकस्मिक मृत्यु।

11. जैसा कि अभिलेखों से प्रतीत होता है कि मृतक अजय कुमार सिंह की मृत्यु पर कोई विवाद नहीं था और इस बात पर भी कोई विवाद नहीं था कि वह अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे तथा वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। याचिका के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र उन आकस्मिक चोटों को दर्शाता है जिन्हें आकस्मिक मृत्यु का निर्णायक साक्ष्य माना जा सकता था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात, यह भी प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 24.06.2022 कई अन्य लंबित आवेदनों के साथ पारित किया गया था और एक सारणीबद्ध चार्ट के माध्यम से सरसरी तौर पर निपटा दिया गया था, जहाँ प्रत्येक आवेदन के परिणाम को केवल एक या दो पंक्तियों में लिखा गया था। वर्तमान मामले में, यह लिखा गया था कि उप-जिला मजिस्ट्रेट, बिधूना, जनपद औरैया की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, यह निर्णय लिया गया कि मृतक ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि मृत्यु दुर्घटनावश थी या आत्मघाती। रिपोर्ट में आगे यह उल्लेख किया गया कि ग्राम कैथना में मृतक के पिता के नाम पर कृषि भूमि दर्ज थी और गाँव में किसी भी व्यक्ति से मृतक की आत्महत्या के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, और इसके पश्चात यह लिख दिया गया कि मृत्यु को आकस्मिक नहीं माना जाएगा, और परिणामस्वरूप, आश्रितगण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ के लिए अपात्र थे।

13. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों के निर्धारण हेतु दिनांक 28.02.2020 को शासनादेश जारी किया है और वर्तमान मामला दिनांक 28.02.2020 के शासनादेश के खंड 2 के अंतर्गत पूरी तरह से आच्छादित है। त्वरित संदर्भ के लिए दिशा-निर्देश का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

“विषय: उत्तर प्रदेश में किसानों की आकस्मिक मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

राज्य सरकार ने किसानों की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना" को लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं:

1. यह योजना 14 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगी।

2. पात्रता (कृषक की परिभाषा):

यह योजना उत्तर प्रदेश के निवासी उन किसानों के लिए है जो आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता का शिकार होते हैं। कृषक को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(1) राजस्व अभिलेखों, अर्थात् भूमि रजिस्टर (खतौनी) में दर्ज खाताधारक/सह-खाताधारक।

अथवा

(2) खाताधारक/सह-खाताधारक के परिवार के ऐसे कमाने वाले सदस्य, जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत खाताधारक/सह-खाताधारक के नाम पर पंजीकृत भूमि से प्राप्त कृषि आय है।

अथवा

(3) ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे या बटाई के आधार पर प्राप्त भूमि पर खेती करते हैं, और जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत ऐसी पट्टे या बटाई वाली भूमि पर की जाने वाली कृषि है। पट्टाधारकों में काश्तकार किसान, सरकारी पट्टाधारक और निजी पट्टाधारक शामिल हैं।

4. आयु:

मृत्यु/दिव्यांगता की तिथि को किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

5. योजना के अंतर्गत आच्छादन:

(1) यदि किसी कृषक की आग, बाढ़, आकाशीय बिजली, बिजली के झटके, सर्पदंश, पशुओं/जीवों द्वारा हमले/चोट, समुद्र, नदी, झील, तालाब या कुएं में डूबने, आंधी-तूफान, पेड़ से गिरने या पेड़ के नीचे दबने, मकान ढहने, ट्रेन/सड़क/विमान/अन्य वाहनों से जुड़ी दुर्घटना, भूस्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चैंबर में गिरने या किसी अन्य कारण से आकस्मिक मृत्यु/दिव्यांगता होती है, तो इस योजना के अंतर्गत कृषक/विधिक उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।”

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. नीति के प्रासंगिक प्रावधानों और योजना के आच्छादन को स्पष्ट करने वाले खंड को पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट है कि मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में भी, लाभ केवल तब नहीं दिए जाएंगे यदि वह आत्महत्या के कारण न हुई हो या वह किसी अपराध का परिणाम न हो। मामले के तथ्यों में, ऐसा कोई भी साक्ष्य बिल्कुल मौजूद नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि मृतक की मृत्यु इनमें से किसी भी अपवाद के अंतर्गत आती है, और यह प्राधिकारियों द्वारा दिया गया केवल एक ऐसा बयान है जिसमें यह भी उल्लेख है कि वे यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं ढूंढ सके कि मृत्यु एक आत्महत्या थी, जो कि याची को योजना के लाभों से वंचित करने का न्यायोचित कारण नहीं हो सकता।

15. ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2022 उप-जिला मजिस्ट्रेट, बिधूना, जनपद औरैया की रिपोर्ट पर निर्भर है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीणों या अन्य कहीं से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी कि मृत्यु आत्महत्या थी या नहीं। कल्याणकारी योजना का उद्देश्य नीति के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। जहाँ रिपोर्ट निर्णायक रूप से आत्महत्या की संभावना को स्थापित नहीं करती है, वहाँ लाभ से वंचित करना, राज्य की कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पात्रता का निर्धारण करने में, याची के विरुद्ध विशुद्ध रूप से एक यांत्रिक धारणा पर आधारित, विवेक का एक मनमाना प्रयोग है।

16. इस न्यायालय ने गायत्री देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 8086 के मामले में इसी प्रकार के मुद्दे पर विचार किया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"17. दिनांक 28.02.2020 के शासनादेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' का उद्देश्य दुर्घटनाओं में मरने वाले किसानों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना इसे अनिवार्य नहीं बनाती है कि कृषि भूमि केवल मृतक किसान के नाम पर ही अभिलिखित होनी चाहिए। जिस बात की जाँच की जानी आवश्यक है, वह यह है कि क्या मृतक मुख्य रूप से कृषि कार्य में लगा हुआ था और क्या कृषि ही उसके और उसके परिवार के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत थी। ग्रामीण परिवेश में, यह एक आम व्यवस्था है कि भूमि परिवार के बड़े सदस्य के नाम पर ही दर्ज रहती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य संयुक्त रूप से कृषि गतिविधियाँ करते हैं।"

17. श्रीमती गायत्री देवी (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय ने भारत संघ बनाम प्रभाकरन विजया कुमार, (2008) 9 एससीसी 527 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, और तदोपरांत यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि हितकारी और कल्याणकारी योजनाओं की उदार और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए ताकि उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके, न कि तकनीकी आधारों पर उसे विफल किया जा सके, याची के दावे को इस तरह लापरवाह तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता था; क्योंकि दिशा-निर्देशों के केवल अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों और परिवारों की रक्षा करना है जो कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं और जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, खतौनी में भूमि मृतक के दादा के नाम पर दर्ज है, और अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है जो यह दर्शाए कि मृतक, उसके पिता या उसकी पत्नी की आय का कोई अन्य स्रोत था। यह परिवार अपने जीवन-यापन के लिए खेती पर ही निर्भर था, विशेष रूप से याची द्वारा प्रति-उत्तर में की गई इस दलील के आलोक में कि वर्ष 2011 में ट्रैक्टर खरीदते समय मृतक द्वारा इसी भूमि को बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक रखा गया था। प्राधिकारियों द्वारा याची के दावे को लापरवाह तरीके से खारिज करने के बजाय, इस तथ्य की उचित रूप से जाँच की जानी चाहिए थी। 22. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याची के दावे की अस्वीकृति योजना की अत्यधिक संकीर्ण व्याख्या पर आधारित है और केवल ऐसी धारणाओं पर आधारित है जिनका उचित जाँच द्वारा समर्थन नहीं होता है; और इसलिए, यह रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे एतद्वारा स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 2, जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 25.08.2021, जिसके द्वारा 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के अंतर्गत याची के दावे को खारिज किया गया था, और विपक्षी संख्या 3 द्वारा जारी सूचना आदेश दिनांक 31.07.2021 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। यह मामला जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज को पुनर्विचार के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे कानून के अनुसार और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, याची को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और यदि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवश्यक हो, तो उचित जाँच कराने के बाद, याची के दावे पर नए सिरे से विचार करें। उक्त कार्यवाही को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।”

18. उपरोक्त विधिक सिद्धांत के आलोक में, जो इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है, हमारे सुविचारित मत में, यह रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है और विपक्षी संख्या 2, जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2022 को, जहाँ तक वह मृतक अजय कुमार सिंह के संबंध में याची के आवेदन से संबंधित है, तदनुसार निरस्त किया जाता है। यह मामला कानून के अनुसार याची के दावे पर नए सिरे से विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, औरैया को प्रतिप्रेषित किया जाता है। याची इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर एक नया प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगामी आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से तय किया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी,) (माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार,)

4 फरवरी, 2026

#विक्रम/-

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”